

ओटीसी डेरिवेटिव्स ट्रेड रिपोजिटरी का आरंभ किया जाना*

सुबीर गोकर्ण

हम यहाँ ओवर दि काउंटर (ओटीसी) डेरिवेटिव्स ट्रेड रिपोजिटरी आरंभ किये जाने के अवसर पर एकत्र हुए हैं। जैसाकि आप जानते हैं, अमेरिका के सबप्राइम संकट के बाद की घटनाओं में एक सुदृढ़ वित्तीय बाजार संरचना का सूचन करने में सहायता देने के संदर्भ में किये गये वार्तालापों की दो प्रधान विषय-वस्तु रही है ओटीसी डेरिवेटिव लेन देनों में पारदर्शिता में सुधार करना और काउंटरपार्टी जोखिम कम करना। इससे न केवल भविष्य में इस प्रकार के संकट की संभावना कम होगी बल्कि यह संकट को रोकेगा भी और विनियामकों को समय पर कार्रवाई करने में सुविधा होगी। अब ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में पारदर्शिता को अन्य सभी उपायों के प्रभावी होने के लिए पूर्व-शर्त के रूप में देखा जाता है। विनियामकों के लिए व्यापक और समय पर सूचना की आवश्यकता होती है ताकि वे जोखिम-निर्मिती को नियंत्रित कर सकें और पहले से अधिकृत सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें। इसी प्रकार बाजार प्रतिभागियों के लिए भी यह आवश्यक होता है कि उन्हें बाजार के समग्र कार्यकलापों और स्थितियों की जानकारी हो ताकि वे अपने परिचालनों की संभावित जोखिमपूर्णता का बेहतर मूल्यांकन कर सकें। तब वे युक्तियुक्त जोखिम-प्रबंधन उपाय कर सकते हैं जो वित्तीय प्रणाली की समग्र सुरक्षा में योगदान करता है।

पिट्सबर्ग में वर्ष 2009 में जी-20 देशों की प्रतिबद्धता इस आधार-वाक्य पर आधारित है और तदनुसार यह कहता है,

‘सभी मानकीकृत ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं का लेनदेन एक्सचेंजों में या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफार्म में होना चाहिए, जहाँ भी युक्तियुक्त हो, और उन्हें अधिक से अधिक वर्ष 2012 के अंत तक केंद्रीय काउंटरपार्टीयों के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए। ओटीसी डेरिवेटिव संविदाओं की सूचना ट्रेड रिपोजिटरी को दी जानी चाहिए।’

हालाँकि उत्पादों की संख्या और जटिलता तथा अनेक प्रकार के प्रतिभागियों के संदर्भ में भारतीय वित्तीय बाजार का विस्तार अधिक नहीं हुआ है, फिर भी रिजर्व बैंक हमेशा से ओटीसी डेरिवेटिव बाजार की पारदर्शिता में सुधार लाने के प्रति विचार करता रहा है। रिजर्व बैंक ने संकट के आरंभ होने के बहुत पहले सभी ओटीसी डेरिवेटिवों,

खास कर फोरेक्स डेरिवेटिवों के मामले में विनियामक आवश्यकता के अनुसार विविध रूपों में संक्षिप्त रिपोर्टिंग की व्यवस्था स्थापित की थी। रिजर्व बैंक ने तो लेन देन स्तर की रिपोर्टिंग को भी अनिवार्य बना दिया था और वह भी उससे पहले जब वित्तीय सुरक्षा के लिए पारदर्शिता के महत्व को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था। यह स्मरणीय है कि जुलाई 2007 में रिजर्व बैंक ने, एक विनियामक अधिदेश के माध्यम से, सीसीआईएल को यह कार्य सौंपा था कि वह ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) के लिए लेन देन स्तर के आँकड़ों का संग्रह और मिलान करे। ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) के लिए रिपोर्टिंग ढाँचा लिखत के आरंभ किये जाने की तारीख से ही खड़ा किया गया था। वर्तमान पहल उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य है सभी ओटीसी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर डेरिवेटिवों के लिए एक व्यापक रिपोजिटरी ढाँचा खड़ा करना, जिसमें विविध रिपोर्टिंग मॉड्यूलों का चरणवार कार्यान्वयन हो।

जो रिपोर्टिंग प्लैटफार्म आज आरंभ किया जा रहा है वह ओटीसी अंतर-बैंक यूएसडी-आईएनआर फॉरवाडर्स, एफएस स्वैप्स एफसीवाई-आईएनआर ऑप्शन्स का प्रबंध करेगा। इस प्लैटफार्म का कोटि उन्नयन बाद के चरणों में किया जायेगा ताकि यह अन्य अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों, यथा एफसीवाई-आईएनआर और एफसीवाई-एफसीवाई फॉरवाडर्स और एफएक्स स्वैप्स; एफसीवाई-एफसीवाई ऑप्शन्स, एफसीवाई-आईएनआर और एफसीवाई-एफसीवाई करेंसी स्वैप्स; एफसीवाई ब्याज दर स्वैप्स (आईआरएस), वायदा दर करार (एफआरए) और कैप्स /फ्लोर्स /कालर्स; तथा उपर्युक्त विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों एवं रूपया आईआरएस में सभी /चुनिंदा ग्राहक व्यापार को अपना सके। समय बीतने पर इसे ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) के लिए रिपोर्टिंग प्लैटफार्म के साथ एकीकृत किया जायेगा।

अपने अंतिम आकार में यह रिपोजिटरी ढाँचा न केवल ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों के संबंध में सूचना का वेयरहाउस बनेगा बल्कि यह डेरिवेटिव संविदाओं के लिए व्यापार-पश्चात् संसाधन सेवाएँ भी प्रदान करेगा और इस प्रकार बाजार की दक्षता को बढ़ायेगा। भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) को सूचित किया गया है कि वह बाजार प्रतिभागियों के परामर्श से व्यापार-पश्चात् विविध

* सीसीआईएल, मुख्य में 9 जुलाई 2012 को डॉ.सुबीर गोकर्ण, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक का उद्घाटन भाषण

प्रकार की संसाधन सेवाओं को विकसित करे। रिपोजिटरी संरचना का उपयोग बाजार प्रतिभागियों और आम जनता को भी कीमत और परिमाण संबंधी आँकड़ों के प्रसार के लिए किया जायेगा।

वैश्विक रूप से ट्रेड रिपोजिटरी की अवधारणा विकसित हो रही है। एक मुद्दा, जो वाद-विवाद का विषय बना हुआ है, वह है अनेक देशों में स्थापित रिपोजिटरियों और उनके अधिकार-क्षेत्र में आँकड़ों का आदान-प्रदान और समूहन-योग्यता। भारत में ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में मुख्यतः देशी काउंटरपार्टियाँ समाविष्ट होती हैं और इसीलिए इस समय अधिकार-क्षेत्र-बाद्य वाले मुद्दों का अधिक महत्व नहीं होता। तथापि, हम पूरे विश्व में मानकों की एकरूपता की आवश्यकता से अवगत हैं और जैसे-जैसे उनका विकास हो, हमारे रिपोजिटरी ढाँचे में अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप होने के लिए काफी लचीलापन होना चाहिए, जो भारतीय संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर निर्भर करेगा।

यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि केंद्रीय काउंटरपार्टियों के कार्यों और रिपोजिटरी के कार्यों के बीच मितव्ययिता की गुंजाइश होती है। फिर भी इन दोनों में मौलिक अंतर होता है क्योंकि एक में जोखिमपूर्ण

स्थिति होती है जबकि दूसरा शुद्ध सेवा-कार्य होता है जिसमें कोई जोखिम नहीं होता। तदनुसार इस विषय पर गठित रिजर्व बैंक कार्यदल ने सीसीआइएल के रिपोजिटरी कार्य के लिए एक अनुषंगी मॉडल की सिफारिश की है ताकि यह सीसीआइएल के सीसीपी कार्य और रिपोजिटरी कार्य से सुरक्षित दूरी बना कर रख सके। यह सर्वोत्तम कारपोरेट अभिशासन प्रथाओं के अनुरूप है। मुझे विश्वास है कि जैसे-जैसे रिपोर्टिंग प्रणाली समेकित होती जायेगी, सीसीआइएल द्वारा इस पहलू पर कार्रवाई की जायेगी।

अंत में मुझे यह देख कर हर्ष हुआ कि हम कुछ ऐसे पहले प्राधिकारियों में से हैं जिन्होंने ओटीसी डेरिवेटिवों की रिपोर्टिंग के संबंध में जी-20 देशों की प्रतिबद्धता को पूरा किया है। मैं इस कार्य के लिए सीसीआईएल की टीमों और रिजर्व बैंक के वित्तीय बाजार विभाग तथा एआईएमएमडीए, एफइडीएआई, पीडीएआई और बाजार प्रतिभागियों द्वारा किये गये कठिन परिश्रम की सराहना करता हूँ। भारतीय वित्तीय प्रणाली को पारदर्शी, सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने में एक और कीर्ति-स्तंभ स्थापित करने के लिए आप सभी को धन्यवाद।